संख्या-02/2024/169/52-1-2024-01(पी0एम0जे0वी0के0)/2024

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत प्राथमिकता पर पूर्ण की जाने वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) एस0एन0ए0 से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5246/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग(330/4)/2022 दिनांक 07.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 खाते से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की केन्द्रांश की धनराशि **रू0 1849.848 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 1041.967 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2891.815 लाख (रूपये अट्ठाईस करोड़ इक्यानबे लाख इक्यासी हजार पॉच सौ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न विवरणानुसार एस0एन0ए0 पूल फण्ड से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	यूनिट	अनुमोदित लागत	परियोजना हेतु अब तक निर्गत कुल धनराशि (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि			लेखाशीर्षक के0-4235-02-800-01 रा0-4235-02-800-89
							केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**बदायूं**	राजकीय पालिटेक्निक में बालक एवं बालिका हेतु 02 टाइप 04 आवास लेक्चर हाल का निर्माण	**उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**	**1**	306.000	153.000	91.800	61.200	153.000	**एस0एन0ए0 से** (के0-0111 रा0-8911)
2	**गोण्डा**	इटियाथोक में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	**1**	140.000	42.000	25.200	16.800	42.000	**एस0एन0ए0 से** (के0-0124 रा0-8924)
3	**गोण्डा**	मुजेहना में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	**1**	140.000	42.000	25.200	16.800	42.000	**एस0एन0ए0 से** (के0-0124 रा0-8924)
4	**बहराइच**	वि0ख0 रिसिया में कॉमन सर्विस सेन्टर का निर्माण	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	**1**	140.000	42.000	25.200	16.800	42.000	**एस0एन0ए0 से** (के0-0124 रा0-8924)
5	**गौतमबुद्धनगर**	क्लस्टर ग्राम जेवर बांगर के आतियाबाद मेहँदीपुर में महिला डिग्री कालेज का निर्माण	**उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**	**1**	942.000	471.000	282.600	188.400	471.000	**एस0एन0ए0 से** (के0-0118 रा0-8918)
6	**प्रतापगढ़**	राजकीय डिग्री कालेज सण्डवा चण्डिका के सण्डवा चण्डिका पूरबगांव में	**उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**	**1**	942.000	471.000	282.600	188.400	471.000	**एस0एन0ए0 से** (के0-0118 रा0-8918)
7	**बाराबंकी**	विकास खण्ड नवाबगंज में राजकीय इण्टर का पुनर्निर्माण	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	**1**	539.950	269.980	161.982	107.988	269.970	**एस0एन0ए0 से** (के0-0109 रा0-8909)
8	**सन्त रविदासनगर**	नगर पालिका परिषद भदोही में 100 बेडेड बालिका छात्रावास का निर्माण	**उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0**	**1**	291.470	145.735	87.441	58.294	145.735	**एस0एन0ए0 से** (के0-0115 रा0-8915)
9	**बस्ती**	विकास खण्ड-रामनगर में राजकीय आई0टी0आई0 का भवन निर्माण	**उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**	**1**	1516.200	758.100	227.430	151.620	379.050	**एस0एन0ए0 से** (के0-0105 रा0-8905)
10	**सन्त रविदासनगर**	भदोही के ज्ञानपुर के चकसुन्दर में पाईप पेयजल योजना	**उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0**	**1**	114.900	57.450	28.725	28.725	57.450	**एस0एन0ए0 से** (के0-0117 रा0-8917)
11	**बलरामपुर**	बलरामपुर के तुलसीपुर के भाग्यकला में पाइप पेयजल योजना	**उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0**	**1**	249.520	124.760	62.380	62.380	124.760	**एस0एन0ए0 से** (के0-0117 रा0-8917)
12	**बलरामपुर**	बलरामपुर के तुलसीपुर के रेहरा में पाइप पेय जल योजना	**उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0**	**1**	353.600	176.800	88.400	88.400	176.800	**एस0एन0ए0 से** (के0-0117 रा0-8917)
13	**सिद्धार्थनगर**	इटवा में राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	**1**	2511.000	878.850	376.650	0.000	376.650	**एस0एन0ए0 से** (के0-0111 रा0-8911)

http://srasanadesh.up.gov.in

14	**सुल्तानपुर**	विकास खण्ड-दूबेपुर के ग्राम हसनपुर में सद्भाव मण्डप का निर्माण	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	**1**	234.000	70.200	42.120	28.080	70.200	**एस0एन0ए0 से** (के0-0119 रा0-8919)
15	**रायबरेली**	रायबरेली के घोषियाना में सद्भाव मण्डप का निर्माण	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	**1**	234.000	70.200	42.120	28.080	70.200	**एस0एन0ए0 से** (के0-0119 रा0-8919)
	Total			15	8654.640	3773.075	**1849.848**	**1041.967**	**2891.815**	

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12)- पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(15) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(19) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(21) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(22) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 17.03.2023** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(23) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(24) अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(25) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक,

http://shasanadesh.up.gov.in

अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

संख्या-169(1)/बावन-1-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

http://srasanadesh.up.gov.in